उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–3926–औ0सं0 / 2019–64 / ए0एस0 / 2002 ई–मेल **दिनांक 11 नवम्बर, 2019**

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0 / केस्को,
लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / कानपुर।

विषय :– विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0, द्वारा जी0पी0एफ0 / सी0पी0एफ0 की राशि को अनियमित ढ़ग से हाउसिंग फाईनेन्स कम्पनी में निवेशित किये जाने के विरोध में दिनांक 14.11.2019 को लखनऊ में रैली निकालने तथा दिनांक 18 एवं 19 नवम्बर, 2019 को 48 घण्टे का कार्य–बहिष्कार के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि **विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति** (जिसमें उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ, विद्युत मजदूर पंचायत, उ0प्र0 बिजली कर्मचारी संघ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाईज यूनियन (इण्टक), उ0प्र0 बिजली मजदूर संगठन, उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ, यू0पी0 बिजली बोर्ड इम्पलाइज यूनियन, बिजली मजदूर यूनियन उ0प्र0, उ0प्र0 ताप विद्युत मजदूर संघ, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद प्राविधि कर्मचारी संघ, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद श्रमिक संघ, विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, विद्युत पैरामेडिकल एसोसिएशन कुल 13 यूनियनें सम्मिलित है) द्वारा दिनांक 14.11.2019 को लखनऊ में रैली निकाली जायेगी तथा दिनांक 18.11.2019 एवं दिनांक 19.11.2019 को 48 घण्टे का कार्य बहिष्कार किया जायेगा।

आप विदित है कि "उ0प्र0 शासन ने उ0प्र0 आवश्यक सेवाओ का अनुरक्षण अधिनियम–1966" के अर्न्तगत उर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या–811 / 24–पी–2–19–1(121) / 04 दिनांक 04.07.2019 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की है जिसकी सूचना आपको कारपोरेशन (मुख्यालय) के पृष्ठांकन संख्या–2550–औ0सं0 / 2019–159–ए / 67 दिनांक 23.07.2019 द्वारा दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में कार्य बहिष्कार, रैली आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 द्वारा दिनांक 14.11.2019 को प्रस्तावित रैली एवं दिनांक 18.11.2019 एवं दिनांक 19.11.2019 को 48 घण्टे का कार्य बहिष्कार किये जाने की नोटिस के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व सयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये एवम् आवश्यकतानुसार जिला–प्रशासन / पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये।

उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–3926–(1)–औ0सं0/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 ट्रांस्को, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल, वाराणसी, पश्चिमांचल, मेरठ, मध्यांचल, लखनऊ, दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को कानपुर विद्युत वितरण निगम लि0।
7. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कार्य बहिष्कार की नोटिस की प्रति सहित कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
9. समस्त महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा),/उप मुख्य लेखाधिकारीगण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. कारपोरेशन मुख्यालय/लेखा–शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)